**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1205**
**दिनांक 30 जुलाई, 2024/ 08 श्रावण,1946 (शक) को उत्तर के लिए**

**फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और संबंधित बुनियादी ढांचे का उन्नयन**

**†1205 श्री सी.एम. रमेश:**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) देश में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;**
**(ख) क्या 1 जुलाई, 2024 से अधिसूचित और लागू नए आपराधिक कानूनों के मद्देनजर मंत्रालय ने देश में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और संबंधित बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;**
**(ग) क्या देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव है; और**
**(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री बंडी संजय कुमार)**

(क): देश में 07 केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सी.एफ.एस.एल.) हैं जो चंडीगढ़, दिल्ली, भोपाल, पुणे, कोलकाता, गुवाहाटी, और हैदराबाद में स्थित हैं। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक पर देखा जा सकता है।

(ख) जी हाँ, सरकार का देश में फोरेंसिक विज्ञान हेतु इको-सिस्टम समेत जांच और अभियोजन की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देश में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और संबंधित सुविधाओं का सुदृढीकरण एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कमी के विश्लेषण (गैप-एनालिसिस) और मांग के मूल्यांकन पर निर्भर करती है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, अपराध और अपराधियों की जांच और अभियोजन सहित नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा तथा संबंधित फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं की जिम्मेदारी संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की होती है।

**लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 1205, दिनांक 30.07.2024**

केन्द्र सरकार द्वारा देश में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और फोरेंसिक बुनियादी ढांचे के स्तरोन्नयन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) भोपाल, गुवाहाटी, पुणे और कोलकाता में केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण।

(ii) फोरेंसिक विज्ञान के नए विषयों जैसे कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ, डिजिटल फोरेंसिक, डीएनए फोरेंसिक विशेषण, फोरेंसिक मनोविज्ञान आदि समेत केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में मशीनरी और उपकरणों का उन्नयन।

(iii) चंडीगढ़ स्थित केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण और अनुसंधान एवं विकास सुविधा की स्थापना।

(iv) डिजिटल धोखाधड़ी / साइबर फोरेंसिक के महत्वपूर्ण मामलों की जांच करने के लिए, केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद में एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना।

(v) ई-फोरेंसिक आईटी प्लेटफॉर्म को शुरु करना, जो देश में 117 फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (केन्द्रीय एवं राज्य) को जोड़ता है।

(vi) गृह मंत्रालय ने सांबा (जम्मू एवं कश्मीर) में 99.76 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है।

(vii) राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एन.एफ.एस.यू) की स्थापना वर्ष 2020 में संसद के अधिनियम के तहत, देश के सभी हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण और प्रशिक्षित न्यायालयिक जनशक्ति प्रदान करने के लिए, की गई है। एन.एफ.एस.यू, का मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। इसके अलावा, एन.एफ.एस.यू के परिसर दिल्ली, गोवा, अगरतला (त्रिपुरा), भोपाल (मध्य प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक), और गुवाहाटी (असम) में स्थित हैं। एन.एफ.एस.यू ने इम्फाल (मणिपुर) और पुणे (महाराष्ट्र) में प्रशिक्षण अकादेमी भी स्थापित की हैं।

(viii) कैबिनेट द्वारा दिनांक 19.06.2024 को देश में फोरेंसिक परीक्षण अवसंरचना में वृद्धि करने और देश में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में लंबित मामलों को कम करने के साथ-साथ देश में

**लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 1205, दिनांक 30.07.2024**

फोरेंसिक पेशेवरों की कमी को दूर करने हेतु, "राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना में वृद्धि करने हेतु योजना" को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 2254.43 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इस योजना में देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 09 ऑफ-कैंपस, 07 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और एन.एफ.एस.यू के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढांचे में वृद्धि करना शामिल है।

(ix) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण, साइबर-फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं का सुदृढीकरण करने के लिए सहायता की जा रही है। 30 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 250.59 करोड़ रुपए की कुल लागत से परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(x) "फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण" के लिए योजना का 2080.5 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदन किया गया है। इस स्कीम के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं को विकसित करने, मशीनरी और उपकरणों का आधुनिकीकरण मोबाइल फोरेंसिक वैन सहित, तथा देश में फोरेंसिक विज्ञान हेतु शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करके इन प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता उपलब्ध है। इस योजना में अब तक, 18 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण/उन्नयन" के घटक हेतु 186.12 करोड़ रुपए और 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए "देश के प्रत्येक जिले और राज्य एफएसएल में मोबाईल फोरेंसिक वाहन प्रदान करने" के घटक हेतु 207.98 करोड़ रुपए के प्रस्ताव अनुमोदित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, एन.एफ.एस.यू के ऑफ-कैंपस और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु और एन.एफ.एस.यू द्वारा प्रत्यायित प्रशिक्षण एवं कौशल अकादेमी स्थापित करने हेतु, इस योजना के अंतर्गत 236.25 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

(xi) "महिला सुरक्षा" की व्यापक योजना के तहत, राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला, हैदराबाद के तर्ज पर पुणे, चंडीगढ़, कोलकाता, भोपाल, दिल्ली और गुवाहाटी में स्थित छह सी.एफ.एस.एल में एक समर्पित साइबर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना 126.84 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ करने हेतु अनुमोदन दिया गया है। इसके अलावा, सभी फोरेंसिक प्रयोगशालाओं

**लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 1205, दिनांक 30.07.2024**

से प्राप्त फोरेंसिक डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रहित करने हेतु, उक्त योजना के तहत 200.16 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा सेंटर की स्थापना अनुमोदित की गई है। इसके साथ ही, उक्त योजना के तहत भोपाल, पुणे और गुवाहाटी में स्थित सीएफएसएल में रिपोर्टिंग अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों की स्थापना को 27.25 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ करने का भी अनुमोदन दिया गया है।

(xii) फोरेंसिक जांच में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

- एनएबीएल मानदंडों (आईएसओ 17025) के अनुसार प्रयोगशालाओं के प्रमाणन हेतु गुणवत्ता मैनुअल और फोरेंसिक विज्ञान के नौ विषयों में कार्य पद्धति मैनुअल।

-जीव विज्ञान, डीएनए, रसायन विज्ञान, विस्फोटक, नारकोटिक्स, विष विज्ञान, आईसीजेएस फोरेंसिक पोर्टल, वक्ता पहचान, कंप्यूटर फोरेंसिक के लिए गुणवत्ता मैनुअल और कार्य पद्धति मैनुअल।

- जांच अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के प्रयोजनार्थ यौन हमले के मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, रख-रखाव और उन्हें लाने-ले जाने हेतु दिशानिर्देश।

- फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना / स्तरोन्नयन के लिए उपकरण की मानक सूची।

(ग) और (घ)"राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना में वृद्धि करने हेतु योजना" के तहत, देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 09 ऑफ-कैंपस की स्थापना को अन्य बातों के साथ-साथ कुल 1309.13 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। एनएफएसयू के ऑफ-कैंपस छात्रों की उपलब्धता, स्थान की व्यवहार्यता और हितधारकों के परामर्श आदि जैसे कारकों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं।

****

अनुलग्नक

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की राज्य-वार सूची

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | राज्य एफएसएल की संख्या | क्षेत्रीय एफएसएल की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 1 | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1 | 5 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 |
| 4 | असम | 1 | 5 |
| 5 | बिहार | 1 | 2 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 1 | 3 |
| 7 | दिल्ली | 1 | 1 |
| 8 | गुजरात | 1 | 6 |
| 9 | गोवा | 1 | 0 |
| 10 | हरियाणा | 1 | 4 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 1 | 2 |
| 12 | झारखंड | 1 | 0 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 1 | 0 |
| 14 | केरल | 1 | 3 |
| 15 | कर्नाटक | 1 | 7 |
| 16 | पश्चिम बंगाल | 1 | 2 |
| 17 | मध्य प्रदेश | 1 | 4 |
| 18 | महाराष्ट्र | 1 | 13 |
| 19 | मणिपुर | 1 | 0 |
| 20 | मेघालय | 1 | 0 |
| 21 | मिजोरम | 1 | 0 |
| 22 | नागालैंड | 1 | 0 |
| 23 | ओडीशा | 1 | 3 |
| 24 | पुडुचेरी | 1 | 0 |
| 25 | पंजाब | 1 | 3 |
| 26 | राजस्थान | 1 | 6 |
| 27 | सिक्किम | 1 | 0 |
| 28 | तमिलनाडु | 1 | 10 |
| 29 | तेलंगाना | 1 | 6 |
| 30 | त्रिपुरा | 1 | 0 |
| 31 | उत्तर प्रदेश | 1 | 11 |
| 32 | उत्तराखंड | 1 | 1 |
|  | कुल | 32 | 97 |

(स्रोत: न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)